45

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संoसंo–1/पाoमेo–23/2021– 259(1) /स्वाo, पटना, दिनांक–29/3/2023

स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–808(1), दिनांक–20.12.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सिंह एण्ड पालवी माइनोरिटी वेलफेयर सोसाइटी, गुलजारबाग, पटना द्वारा प्रस्तावित मौलाना आजाद पारामेडिकल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, रानीपुर रोड, नियर दीदारगंज, टॉल प्लाजा, पटना (बिहार) को निम्न पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022–23 से संचालित करने की अनुमति अंकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

क्रo संo	डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर (CMD)	60
2	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन (DMLT)	60
3	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट (DOTA)	60

निम्न डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अंकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है–

क्रo संo	डिग्री पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी (BPT)	60
2	बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी (BMLT)	60
3	बैचलर ऑफ ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (BOTT)	60
4	बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी (BMRT)	60

2– स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सिंह एण्ड पालवी माइनोरिटी वेलफेयर सोसाइटी, गुलजारबाग, पटना द्वारा प्रस्तावित मौलाना आजाद पारामेडिकल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, रानीपुर रोड, नियर दीदारगंज, टॉल प्लाजा, पटना (बिहार) के द्वारा किया जायेगा।

3– संस्थान बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल परीक्षा समिति, पटना से अपने डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकित छात्रों का निबंधन कराते हुए पाठ्यक्रमों को संचालित करेगी।

4– संस्थान संबंधित विश्वविद्यालय से affiliation प्राप्त करने के उपरान्त ही डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेगी।

क्रमशः

5– संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

6– बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम–5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/–(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

7– सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

8– भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

9– संस्थान द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28.3.23

(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/पा0मे0–23/2021–259 (1) /स्वा0, पटना, दिनांक–29/3 /2023

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, 'ई' गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना–800001/कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, सिंह एण्ड पालवी माइनोरिटी वेलफेयर सोसाइटी, बदरघाट, पो0–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, पटना/सचिव, मौलाना आजाद पारामेडिकल ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट, रानीपुर रोड, नियर दीदारगंज, टॉल प्लाजा, पटना (बिहार)–800009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर निदेशक (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं संबंधित सहायक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.23

सरकार के संयुक्त सचिव